

\*प्रेस-विज्ञप्ति\*\*पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने जनपद के 05 थानों का किया आकस्मिक निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा- निर्देश\*

दिनांक- 13.07.2024 को \*पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना\* द्वारा जनपद के \*05 थानों (थाना बरदह, देवगांव, मेंहनाजपुर, तरवां व थाना मेंहनगर)\* का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पायी गयी, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा थाना परिसर में पुरानी इमारतों को मरम्मत कराकर साफ-सफाई करने के निर्देश दिये गये।

थाना रानी की सरायघर से जेवरात व नकदी चुराने वाला अपराधी असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 14.07.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह को सूचना मिली की रुदरी नगर पुलिया के पास एक व्यक्ति अवैध असलहा लिया हुआ है अगर जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम राहुल उर्फ टिल्लू पासी पुत्र बंशू पासी नि0 सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर, अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ 1000 रूपये नकद, तीन अदद साडी व एक सोने का मंगलसुत्र व एक पतला सा सोने का जंजीर के साथ समय 11.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 204/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम राहुल उर्फ टिल्लू पासी पुत्र बंशू पासी नि0 सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब मेरे दिनांक 16.11.2023 को रात्रि मे ग्राम दाउदपुर में एक घर मे घुस कर दिवाल के सहारे छत पर चढ कर कुछ जेवर व पैसा चोरी किये थे व अटैची तोड कर जेवर पैसा निकाले थे। जेवर बेच कर सब खां गये जो पैसा एक हजार रुपया बरामद हुआ है, उसी चोरी का पैसा है, व हाथ में लिये छोला की तलाशी ली गयी तो 03 अदद साडी व एक मंगल सुत्र सोने का एक अदद जंजीर बरामद हुआ। इसके विषय मे पूछा गया तो बताये कि दिनांक 06.05. 24 को रात्रि में ग्राम गाहूखोर गोबरही थाना रानी की सराय मे रोड के किराने पक्का मकान मे खिड़की के सहारे चढ कर छत पर जाकर एक रुम में रखा बक्शा को उठा कर ले गये थे। जिसमे सोने का जेवर व चांदी का जेवर व साडी कपडा व जैकेट ले गये थे व पैसा 12000 रुपया ले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- राहुल उर्फ टिल्लू पासी पुत्र बंशू पासी नि0 सोनवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बरामदगी –

1-एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

2- एक हजार रुपया नगद व तीन अदद साडी व एक सोने का मंगलसुत्र व एक अदद पतला सा सोने का जंजीर बरामद पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 204/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	164/2018	380/457	भादवि	रानी की सराय आजमगढ़
02	36/2019	380/411/457	भादवि	रानी की सराय आजमगढ़
03	131/2020	3/25 आर्म्स एक्ट		रानी की सराय आजमगढ़
04	182/2020	379/504/506	भादवि	रानी की सराय आजमगढ़
05	204/2024	3/25 आर्म्स एक्ट		रानी की सराय आजमगढ़
06	121/2024	धारा 457/380/411	भादवि	रानी की सराय आजमगढ़
07	369/2023	धारा 457/380/411	भादवि	रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) व0उ0नि0 गोपाल जी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2) रि0उ0नि0 सूरज तिवारी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(3) का0 अमित कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(4) का0 आनन्द कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

## थाना- कोतवाली

### चोरी की 02 मोटर साइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास-

वादी अभिषेक पुत्र लक्ष्मी गुप्ता ग्राम गोधपुर पोस्ट किशुनदासपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दि. 24.6.24 को समय 1 बजे मैं अपनी मोटर साइकिल यूपी50सीए9213 स्पलेन्डर प्लस को बाबा भैरवनाथ मंदिर के बगल में खड़ा करके दर्शन करने गया वापस आकर देखा तो गाड़ी नहीं मिली। काफी खोजबीन करने के बाद मैं थाना कंधरापुर में प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 13.7.24 को मु0अ0सं0 299/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण -

दिनांक- 13.07.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, उ0नि0 विनय कुमार सहाय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अमरनाथ यादव पुत्र स्व0 फेकू यादव निवासी ग्राम जमुआ हरिराम थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष को डीह बाबा के स्थान के पास ब्रह्मस्थान से समय 22.05 बजे गिरफ्तार किया गया तथा 03 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में नियमानुसार लिया गया। उनके उनके कब्जे से 02 अदद मोटर साइकिल बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - बाल अपचारियों द्वारा बताया गया कि हम तीनों जेब खर्च चलाने के लिये बाईक चोरी कर लेते हैं तथा बेच देते हैं इस बाईक को हम तीनों ने अपने उपयोग के लिये फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर व इंजन चेसिस नम्बर खुरचकर तैयार किया है कि असली गाड़ी मालिक न पहचान सके तथा पुलिस वालों से चेकिंग में बचा जा सके किन्तु आज इस बाईक का भी अच्छा ग्राहक मिल गया है इसलिये इसको आज बेचने जा रहे थे। इस गाड़ी को हम तीनों ने मिलकर बाबा भैरोनाथ मंदिर परिसर महाराजगंज के बगल से दिनांक 24/06/2024 को दोपहर में हम तीनों मिलकर चोरी किये थे तथा अभियुक्त अमरनाथ उपरोक्त को 2800 रुपये में गाड़ी को बेच दिये थे।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 408/24 धारा 317(2)5, 318(4), 336(2)(3), 338, 340(2), 61(2)क बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अमरनाथ यादव पुत्र स्व0 फेकू यादव निवासी ग्राम जमुआ हरिराम थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष,  
02. तीन किशोर अपचारी

बरामदगी का विवरण:- दो अदद मोटर साइकिल हीरो स्पलेन्डर व एक अन्य क्षतिग्रस्त मोटर साइकिल बरामद हुआ।

आपराधिक इतिहास-मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1- उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव, उ0नि0 विनय कुमार सहाय, कां0 अखिलेश यादव, कां0 राहुल कुमार, कां0 कृपाशंकर, कां0 संजय भारती, कां0 महातम गोड़ थाना कोतवाली आजमगढ़

## थाना सरायमीर

### चोरी के जेवरात व रूपये के साथ शातिर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक 13/07/2024 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि बीते दिन शेरवा व ओहदपुर में जो चोरी हुई थी उसको एक नशेड़ी किस्म का लड़का चोरी किया है जो इस समय बस्ती नहर पुलिया से शेरवा जाने वाली रोड पर स्थित निर्माणाधीन राजकीय महिला डिग्री कालेज के पास खड़ा किसी व्यक्ति का इन्तजार कर रहा है उसके पास तमंचा भी है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद दानिश पुत्र इसरार अहमद निवासी ग्राम सिरसाल थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष बताया तथा इसके कब्जे से एक अदद तमंचा, एक अदद जिन्दा कार0 .315 बोर व कुल 6850/- रुपये व एक अदद पीली धातू की लाकेट, एक जोड़ी सफेद धातु पायल बरामद हुआ। अभियुक्त मोहम्मद दानिश पुत्र इसरार अहमद सा0 सिरसाल थाना रानी की सराय, आजमगढ़ का यह कार्य अन्तर्गत धारा 380/457/454/379/420/411 भादवि व धारा 3/25 शस्त्र अधि0 का दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त उपरोक्त को अलग अलग मुकदमा वार अपराध से बोध कराते हुये अभियुक्त उपरोक्त को पुलिस हिरासत मे व बरामदशुदा माल व तमंचा कब्जा पुलिस मे दिनांक 13.07.24 को समय करीब 17.45 बजे को बस्ती नहर पुलिया हिरासत पुलिस मे लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

➡ गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब दिनांक 06.05.24 को दोपहर के समय सरायमीर बाजार में एक महिला मिली जिससे मैंने पूछा की चाची यहां बैंक हैं तो कही की मुझे नहीं मालूम हैं। मैं उनको सब्जी मण्डी के तरफ लेकर गया और एक रूमाल में कागज का नोट लपेटकर दिया और धोखे से उनका कान का टप्स और लाकेट लेकर चला गया था। कान का टप्स को राहगीर को बेच दिया सोने का लाकेट अपने पास रखा था जो आपने बरामद किया हैं।

➡ दिनांक 24.06.24 को दिन में करीब 2.30 बजे शेरवा गाँव के एक मकान पर ताला बन्द था। अधिक धूप होने के कारण कोई व्यक्ति बाहर नहीं दिखाई दिया तो मैं ताला तोड़कर अन्दर से एक लैपटाप, और कुछ गहने चुराया था। लैपटाप और कुछ गहनो को एक राहगीर को बेच दिया था। जिसमें 12000/- रूपया मिला था। खाने पीने में खर्च करने के बाद 4730/- रूपये उसमें शेष बचा था तथा गहने में एक जोड़ी पायल मिला था जो आपने अभी मेरा पास से लिये हैं।

➡दिनांक 04.06.24 की रात में डेमरी मकदूमपुर गाँव में एक घर में दरवाजा खुला था मैं घर के अन्दर घुसकर देखा तो घर के सभी लोग सो रहे थे एक कमरे में कोई नहीं था जिसमें से चोरी किया था। जिसमें कुछ गहने और पैसे मिले थे। गहने को एक राहगीर को बेच दिया। बेचने पर 5000/- रूपये मिला था। खाने पीने में खर्च करने के बाद उसमें का 2120/- रूपया शेष बचा था जो आपने बरामद किया है।

बरामदगी-

1. एक अदद तमंचा .315 बोर,
2. अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर,
3. एक अदद 01 अदद पीली धातु की लाकेट,
4. एक जोड़ी पायल व 5. 6850/- रूपये

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. मोहम्मद दानिश पुत्र इसरार अहमद सा0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 388/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 240/2024 धारा 379/420 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 363/24 धारा 454/380 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि थाना थाना सरायमीर आजमगढ़
3. मु0अ0स0 306/2024 धारा 457/380 भादवि बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि थाना थाना सरायमीर आजमगढ़
4. मु0अ0स0 134/2024 धारा 380/411 भादवि थाना थाना सरायमीर आजमगढ़
5. मु0अ0स0 136/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले टीम-

- 1- प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय थाना सरायमीर आजमगढ़
2. उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़
3. उ0नि0 अखिलेश यादव थाना सरायमीर आजमगढ़
4. उ0नि0 यूटी पंकज यादव थाना सरायमीर आजमगढ़
5. का0 विक्रम यादव थाना सरायमीर आजमगढ़
6. का0 आशु सिद्दीकी थाना सरायमीर आजमगढ़